



G20



माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुर्वोरका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन-247120)

Website-msuniversity.ac.in

Email ID - nss@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 91 / एन0एस0एस0 / एम.एस.यू. / 2023-24

दिनांक 14 / 12 / 2023

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान,

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

विषय:- मा0 मुख्यमन्त्री जी की अध्यक्षता में गठित "उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद" की सम्पन्न बैठक दिनांक 02.12.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ के पत्रांक सं0-3405/सत्तर-3-2023 दिनांक 13.12.2023 के संलग्न पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 15.12.2023 से 31.12.2023 तक मनाये जाने की अपेक्षा की गयी है जिसके क्रम में निम्नवत् निर्देश दिये जा रहे हैं-

1. सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश के समय रोड सेपटी क्लब के माध्यम से बिना लाइसेंस व बिना हेलमेट के शिक्षकों/विद्यार्थियों/अभिभावकों की जाँच करते हुए उनको सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जाये।
2. मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 05.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में दिवसवार कार्यक्रमों में शामिल होकर पखवाड़े में उच्च शिक्षा विभाग का योगदान सुनिश्चित किया जाये।
3. आयोजित पखवाड़े के प्रत्येक दिवस में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के परिसर में बिना हेलमेट/सीटबेल्ट लगाये आने वाले समस्त कार्मिकों को प्रथमतः सचेत किया जाये एवं पुनरावृत्ति की स्थिति में वाहन पर बिना नम्बर हेलमेट/सीटबेल्ट लगाये हुए कार्मिकों का प्रवेश निषिद्ध करते हुए अनुपस्थित माना जाये।
4. सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में निबन्ध/भाषण प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में आवश्यक रूप से किया जाये।
5. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/विद्यार्थियों को गुड सेमेरिटेन बनने हेतु प्रोत्साहित किया जाये जिससे वह दुर्घटना के समय गोल्डन ऑवर में पिडित को अस्पताल पहुँचाया जा सके।
6. एक्सपर्ट को बुलाकर दुर्घटना के कारणों व रोकने के उपायों की जानकारी गोष्ठी के माध्यम से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/विद्यार्थियों को विशेष रूप से प्रदान की जाये।
7. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा नियमों व संकेत चिन्हों की जानकारी के पोस्टर नोटिस बोर्ड पर लगाये जाये एवं अध्यापकों/विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा सकेतकों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की जाये।
8. सड़क सुरक्षा पखवाड़े के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को भी आमन्त्रित किया जाये एवं उनसे भी मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।
9. समस्त कार्यवाहियों की समय-समय पर फोटोग्राफी व विडियोग्राफी भी करायी जाये।
10. सड़क सुरक्षा पखवाड़े के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार सोशल मिडिया के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाये।

अतः उक्त के सन्दर्भ में आपसे अपेक्षा की जाती है कि समस्त रा0से0यो0 इकाई मॉ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन कराते हुए समेकित आख्या कार्यालय ई-मेल nss@msuniversity.ac.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,



(डा0 भूपेन्द्र कुमार)
नोडल सडक सुरक्षा

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव कार्यालय को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3. शैक्षणिक समन्वयक, मॉ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर को इस आशय से कि वह उक्त कार्यक्रम विश्वविद्यालय में कराना सुनिश्चित करे।
4. गार्ड फाईल।

नोडल सडक सुरक्षा

प्रेषक,

डॉ० अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०
प्रयागराज।
2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय
उ०प्र०।
3. विशेष कार्याधिकारी,
राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 13 दिसंबर, 2023

विषय : मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित "उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद" की सम्पन्न बैठक दिनांक 02.12.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूच्य हो कि शीत ऋतु में घने कोहरे व कम दृश्यता के कारण सड़क दुर्घटनाएं होने की सम्भावना अत्यधिक हो जाती है, इस उद्देश्य से 5E-Education, Enforcement, Engineering, Emergency Care & Environment पर फोकस करते हुए एकजुट होकर कार्य किया जाना है। इस कार्य में परिवहन विभाग, गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग एवं शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसके कम सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक मनाने का निर्णय लिया गया है, के कम में निम्नवत् निर्देश दिये जा रहे हैं:-

1. सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश के समय रोड सेप्टी क्लब के माध्यम से बिना लाइसेंस एवं बिना हेल्मेट के शिक्षकों/विद्यार्थियों/अभिभावकों की जांच करत हुए उनको सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जाय।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 05 दिसम्बर, 2023 (छायाप्रति संलग्न) के कम में दिवसवार कार्यक्रमों में शामिल होकर पखवाड़े में उच्च शिक्षा विभाग का योगदान सुनिश्चित किया जाय।
3. आयोजित पखवाड़े के प्रत्येक दिवस में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के परिसर में बिना हेल्मेट/सीटबेल्ट लगाये आने वाले समस्त कार्मिकों को प्रथमतः सचेत किया जाय एवं पुनरावृत्ति की स्थिति में वाहन पर बिना नम्बर हेल्मेट/सीटबेल्ट लगाये हुए कार्मिकों का प्रवेश निषिद्ध करते हुए अनुपरिथत माना जाय।
4. सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में निबन्ध/भाषण प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में आवश्यक रूप से किया जाय।
5. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/विद्यार्थियों को गुड सेमेरिटेन बनने हेतु प्रोत्साहित किया जाय जिससे वह दुर्घटना के समय गोल्डेन ऑवर में पीड़ित को अस्पताल पहुँचा सके।
6. एक्सपर्ट को बुलाकर दुर्घटना के कारणों व रोकने के उपायों की जानकारी गोष्ठी के माध्यम से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/विद्यार्थियों को विशेष रूप से प्रदान की जाय।
7. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा नियमों व संकेत चिन्हों की जानकारी के पोस्टर नोटिस बोर्ड पर लगाये जाए एवं अध्यापकों/विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा संकेतकों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की जाय।

209/890
14/12/23

NSS लखनऊ
14/12/2023
14.12.23

8. सड़क सुरक्षा पखवाडे के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाय एवं उनसे भी मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय।
9. समस्त कार्यवाहियों की समय-समय पर फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
10. सड़क सुरक्षा पखवाडे के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव महोदय के संलग्न पत्र दिनांक 05.12.2023 में सड़क सुरक्षा पखवाडे के सम्बन्ध में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्य शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
13/11/23
(डॉ० अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

सख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षामंत्री जी, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, मा० परिवहन मंत्री जी, उ०प्र० शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, टिहरी कोठी, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

(डॉ० अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

1/140147/2023

गहत्वपूरुग/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या-440447/तीस-3-2023

प्रेषक,

प्रमुख सचिव कार्यालय में दुर्गा शंकर मिश्र,
प्राप्त दिनांक 06/12/23 मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र0।
2. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, 30प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, 30प्र0।
4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी/आगरा/ गाजियाबाद/प्रयागराज
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, 30प्र0।

संख्या 9011/NPPSHED/2023

परिवहन अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 05 दिसम्बर, 2023

वि.प्र.०(म)

विषय: वर्ष 2023-24 में द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 15-12-2023 से 31-12-2023 तक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अद्यत कराना है कि विगत वर्षों में शीत ऋतु में घने कोहरे व कम दृश्यता होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। शीत ऋतु में दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के प्रयोजनार्थ सभी सड़क प्रयोक्ताओं (समस्त प्रकार के वाहन चालकों एवं पैदल यात्रियों) तथा आम-जनमानस को जागरूक किया जाना आवश्यक है। इस हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ बृहद अभियान चलाया जाना अनिवार्य है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीत ऋतु में सड़क दुर्घटनाओं व उनसे होने वाली मृत्यु की संख्या में कमी लाये जाने के उद्देश्य से SE- एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इन्जीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और इनयायरमेंट पर फोकस करते करते हुए एकजुट होकर कार्य करना है। उक्त के दृष्टिगत सड़क सुरक्षा से जुड़े समस्त विभागों- परिवहन विभाग, गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग तथा शिक्षा विभाग की कार्ययोजना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

06/12/23
(एम० पी० अग्रवाल)
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

Ds(Spm)/50-3

07/12/23
डॉ० अखिलेश कुमार मिश्र
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

3. कृपया संलग्न कार्यक्रम के अनुसार सड़क सुरक्षा पखवाड़ा को सफल बनाने हेतु यथा आवश्यक संबंधित विभागों से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाये तथा प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाये।

संलग्नक-यथोक्त।

भयदीय,

Digitally Signed by इत
मकर सिंह

Date 05-12-2023 17:01:18

(दुर्गा लखनऊ मिश्रा & Co.)

मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री जी, 30प्र0 शासन।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग, 30प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
10. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
11. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
12. पुलिस महानिदेशक, 30प्र0।
13. परिवहन आयुक्त, 30प्र0 लखनऊ।
14. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा/यूपीडा।
15. प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0रा0स0परिवहन निगम, लखनऊ।
16. निदेशक, यातायात, 30प्र0 लखनऊ।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0 वैकटेश्वर लू)
प्रमुख सचिव।

सड़क सुरक्षा पखवाड़ा (दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक) हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा

सड़क सुरक्षा पखवाड़े के आयोजन हेतु सामान्य निर्देश :-

- प्रत्येक जनपद में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन पखवाड़े से पूर्व किया जाए, जिसमें बैठक के एजेण्डा बिन्दु एवं उनके कार्यकृत में एकरूपता के प्रयोजनार्थ मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 26.07.2023 द्वारा निर्गत किये गये मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए साथ ही इस बैठक में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के सफल आयोजन हेतु विचार-विमर्श करते हुए लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन आयोजित पखवाड़े के दिवसवार योजना के अनुसार किया जाए।
(कार्यवाही-जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति)
- आयोजित पखवाड़े के प्रत्येक दिवस में पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रयोग करने वाले विभागों द्वारा राष्ट्र भक्ति के गीतों के साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार कर जनमानस को जागरूक किया जाए।
(कार्यवाही-पुलिस विभाग, परिवहन विभाग (परिवहन नियम सहित), नगर विकास विभाग)
- आयोजित पखवाड़े एवं भविष्य में भी नियमित रूप से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाए।
(कार्यवाही-समस्त विभाग)
- दिनांक 12.10.2023 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना जांच योजना-2023 के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जनपद में 03 या अधिक सड़क दुर्घटना मृत्यु वाली दुर्घटनाओं की जांच हेतु दुर्घटना जांच समिति एवं जनपद स्तरीय सम्न्वय समिति के गठन की कार्यवाही पखवाड़े के अंतर्गत पूर्ण की जाए।
(कार्यवाही-जिलाधिकारी/सहाय संचालक परिवहन अधिकारी)
- आयोजित पखवाड़े के प्रत्येक दिवस में समस्त विभागों के कार्यालय परिसर में बिना हेलमेट/सीटबेल्ट लगाये आने वाले समस्त कारमिकों को सार्वजनिक रूप से सचेत किया जाए तथा इस हेतु कार्यालय परिसर में चेतावनी सूचक बोर्ड भी लगाया जाए एवं पुनरावृत्ति की स्थिति में घाहन पर बिना हेलमेट/बिना सीटबेल्ट लगाये हुए कारमिकों का प्रवेश निषिद्ध करते हुए उन्हें अनुपस्थित माना जाए। सभी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि कार्यालय के समस्त सरकारी/अनुबन्धित/प्राइवेट वाहनों में हार्ड सिवयोरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य रूप से लगे हों।
(कार्यवाही-समस्त विभाग)
- आयोजित पखवाड़े के दौरान समस्त सड़क निर्माण विभाग/एन०एच०एच०आई०/अन्य निर्माण एजेंसी प्रारम्भ के 03 दिनों में स्पीड ब्रेकर का निरीक्षण करते हुए कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर की पहचान करें एवं अक्षोष अवधि में उनके स्थान पर टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर का निर्माण करते हुए सभी टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर पर अनिवार्य रूप से थर्मोप्लास्टिक पेंट कराया जायता सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही-समस्त सड़क निर्माण विभाग/एन०एच०एच०आई०/अन्य निर्माण एजेंसी)
- सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन सभी विद्यालयों में प्रार्थना सभा में छात्रों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी दिया जाना एवं सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कराया जाना तथा समस्त विद्यालय/महाविद्यालय परिसर में प्रवेश के समय रोड सेपटी क्लब के माध्यम से बिना लाइसेंस एवं बिना हेलमेट के शिक्षकों/विद्यार्थियों/अभिवाक की जांच करते हुए उनको सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जाए।
(कार्यवाही-बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग)
- सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन नगर विकास विभाग द्वारा शहरों में समुचित प्रकार व्यक्स्था हेतु मार्ग पर स्ट्रीट लाइट के स्थापित होने एवं उसके क्रियाशीलता को सुनिश्चित किया जाए।
(कार्यवाही-नगर विकास विभाग)
- सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत समस्त आई०टी०एम०एस० वाले शहरों तथा एक्सप्रेस-वे पर स्थापित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से कैम्बर किये हुए उल्लंघन-कर्ताओं का शत-प्रतिशत चालान सुनिश्चित किया जाना।
(कार्यवाही-पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, नगर विकास विभाग, यीउ, यूपीअ)

- शीत ऋतु में कम दूर्यता के कारण समस्त एक्सप्रेस-वे ऑथारिटी तथा एन०एच०ए०आई०/लो०नि०वि०(एन०एच०) द्वारा पखवाड़े के प्रत्येक दिवस में (पखवाड़े के उपरान्त शीत ऋतु की समाप्ति तक) सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े हुए वाहन/खराब दशा में खड़े हुए वाहनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने संबंधी कार्यवाही हेतु प्रभावी पेट्रोलिंग किया जाना सुनिश्चित करें। एन०एच० तथा अन्य श्रेणी के मार्गों पर उपरोक्तानुसार पेट्रोलिंग की कार्यवाही पुलिस विभाग के द्वारा की जाए।
(कार्यवाही-पुलिस विभाग, एन०एच०ए०आई०, लो०नि०वि० (एन०एच०), यीडा, यूपीडा)
- समस्त दो पहिया/चार पहिया वाहन डीलर्स शो-रूम के बाहर सड़क सुरक्षा संबंधित डिस्टेंस बैनर/होर्डिंग (न्यूनतम 12 x 8 फिट) का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से स्थापित करते हुए प्रदर्शन किया जाए तथा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुपालन में शो-रूम के अन्दर कार्पर स्थापित कराते हुए उसकी सूचना परिवहन, मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाए।
(कार्यवाही-परिवहन विभाग)

उपरोक्त बिन्दुओं के क्रम में सड़क सुरक्षा पखवाड़े की दिवसवार कार्ययोजना निम्नवत है:-

दिवस	परिवहन विभाग	परिवहन निगम	पुलिस विभाग	समस्त निर्माण एजेंसियां (नोटल- लो०नि०वि०)	शिक्षा विभाग	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग
प्रथम दिवस	<ul style="list-style-type: none"> सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अंतर्विभागीय समन्वय से आयोजित किया जाए, जिसमें परिवहन एवं पुलिस विभाग की सक्रिय भागीदारी होगी। उद्घाटन समारोह परिवहन एवं पुलिस विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा आयोजित किया जाये। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य श्रुतियि के रूप में जनपद के ना० सांसद, मा० विधायक, पुलिस आयुक्त तथा जिलाधिकारी को आमंत्रित किया जाये। समस्त स्टेक होल्डर विभागों (लोक निर्माण विभाग तथा अन्य सड़क स्वामित्व वाले विभाग/एजेंसी, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग) के जनपदस्तरीय अधिकारियों को समारोह में सम्मिलित करने हेतु आमंत्रित किया जाए। समारोह में परिवहन से जुड़े बस/ट्रक/आटो यूनियन, एनजीओ के पदाधिकारी, परिवहन निगम के चालक/परिचालक आदि को भी सम्मिलित किया जाए। उद्घाटन समारोह के सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार वाहन को उपस्थित मा० जनप्रतिनिधि द्वारा फ्लैग ऑफ करते हुए पखवाड़े का शुभारम्भ कराया जाये। परिवहन विभाग के मुख्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में समस्त जनपदों में सड़क दुर्घटना पीड़ित परिजनों को उद्घाटन समारोह में उनके अनुभवों को साझा किये जाने हेतु आमंत्रित किया जाए तथा आम-जनमानस को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति संवेदीकृत किये जाने के दृष्टिगत उनके अनुभवों का वीडियो क्लिप भी बनाया जाए। उद्घाटन समारोह के समापन में सड़क सुरक्षा की शपथ ग्रहण करायी जाये। उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही की फोटोग्राफ तथा सूचना मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाए। 					
द्वितीय दिवस	एल०ई०डी० युक्त पब्लिसिटी बैन, कार्यालय में स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से आम	परिवहन निगम के समस्त चालकों/परिचालकों एवं यात्रियों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के	सभी बस/ ट्रक/ ऑटो/ ई- रिक्शा तथा टैक्सी चालकों एवं उनके यूनियन के	समस्त सड़क स्वामित्व वाले विभाग/एजेंसी (लो०नि०वि०, एन०एच०ए०आई०, उपशा, यूपीडा, यीडा एवं नगर	उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों, अध्यापकों एवं	समस्त मेडिकल कॉलेजों में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों से संबंधित गोष्ठी का

	जन-मानस में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सके।	प्रति बसों एवं बस डिपो में स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जाए।	पदाधिकारियों के साथ परिवहन विभाग के समन्वय से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से किया जाना।	विकास विभाग) द्वारा अपने कार्यालय परिसर/टोल प्लाजा में कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी को एकत्र कर गोष्ठी का आयोजन किया जाए तथा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने हेतु सड़क सुरक्षा सप्थ दिलाई जाये एवं जागरूक किया जाए।	अभिभावकों के मध्य सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों से संबंधित गोष्ठी/सेमिनार तथा सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। सभी विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा शपथ दिलायी जाये।	आयोजन किया जाए।
तृतीय दिवस	एलआईडी0 युक्त पब्लिसिटी वैन कार्यालय में स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से आम जन-मानस में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सके।	परिवहन निगम के समस्त चालकों/परिचालकों एवं यात्रियों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति बसों एवं बस डिपो में स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जाए।	सभी बस/ ट्रक/ ऑटो/ ई- रिक्शा तथा टैक्सी चालकों एवं उनके यूनियन के पदाधिकारियों के साथ परिवहन विभाग के समन्वय से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना।	1-वर्ष 2023 में विहित नवीन ब्लैक स्पॉट का सत्यापन कर सड़क निर्माण विभाग/एजेंसी का निर्धारण एवं सभी ब्लैक स्पॉट का विश्वकर्मा एप में अंकन का कार्य पूर्ण कराया जाये। 2- वर्ष 2023 में विहित नवीन ब्लैक स्पॉट पर तात्कालिक सुधार वाले कार्यों को विहित कर उन्हें पक्कवाड़े के समाप्ति से पूर्व पूर्ण कराया जाए।	सभी स्कूली वाहनों के चातकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों में परिवहन विभाग के सहयोग से कराया जाना।	समस्त राजकीय चिकित्सालयों में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों से संबंधित गोष्ठी का आयोजन किया जाए।
चतुर्थ दिवस	1-समस्त व्यावसायिक वाहनों/ ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडो रिफ्लेक्टिव टेप /बैक लाइट/ फॉग लाइट के मानक अनुरूप लगे होने/ क्रियाशीलता सुनिश्चित कराना। 2-राजकीय चिकित्सालयों में	1-परिवहन निगम की समस्त बसों/अनुबन्धित बसों में रेडो रिफ्लेक्टिव टेप/बैक लाइट/फॉग लाइट के मानक अनुरूप लगे होने/ क्रियाशीलता सुनिश्चित कराना।	ड्रकन ड्राइविंग, ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जम्पिंग, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी चेंकिंग के विरुद्ध अभियान।	1-वर्ष 2023 में विहित नवीन ब्लैक स्पॉट का सत्यापन कर सड़क निर्माण विभाग/एजेंसी का निर्धारण एवं सभी ब्लैक स्पॉट का विश्वकर्मा एप में अंकन का कार्य पूर्ण कराया जाये।	उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों एवं मञ्जविद्यालयों में सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता रैली का आयोजन किया जाना। सभी विद्यार्थियों को	राजकीय चिकित्सालयों में समस्त व्यावसायिक वाहन चालकों एवं परिवहन निगम के बस चालकों का स्वास्थ्य जाँच कार्ड के अनुसार नेत्र एवं स्वास्थ्य जाँच किया जाना। (प्रथम

	<p>व्यवसायिक वाहन घालकों एवं परिवहन निगम के बस घालकों का स्वास्थ्य जांच कार्ड के अनुसार नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित कराना।</p>	<p>राजकीय चिकित्सालयों में परिवहन निगम के बस घालकों का स्वास्थ्य जांच कार्ड के अनुसार नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित कराना।</p>		<p>1- वर्ष 2023 में निर्धारित नवीन बसें खरीद पर तात्कालिक पुनः बसें कार्यों को विनियमित कर पुराने पत्रवाहकों के सम्बन्धित ले भूख पूर्ण कराया जाय।</p>	<p>सर्वोच्च अदालत द्वारा निर्णय प्राप्त।</p>	
<p>पंचम दिवस</p>	<p>सभी बस/ ट्रक/ ऑटो/ ई-रिक्शा तथा टैक्सी घालकों एवं उनके यूनिट्स के पर्यवेक्षकों के साथ सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना।</p>	<p>निगम की बसों की फिटनेस की जांच कर कमियों को दूर करना तथा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत बसों में स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रचार-प्रसार किया जाना।</p>	<p>1- दो पहिया वाहन की हेल्मेट (घालक एवं पीछे बैठी सवारी सहित), सीटबेल्ट, मोबाइल फोन गलत दिशा में धारण का सचेतन करने के विरुद्ध लोगों को जागरूक करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही दिखी जाना।</p>	<p>1- जनपद के समस्त अभियंत्रण विभाग (जोड़क) विभिन्न एनएचएअर, उपग्रह सुसुविधा, धौलपुर नगर विकास विभाग) के अधिकारी कर्मचारी, डेप्युटी कलेक्टर, SP-UG के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में सेवटी के प्रवर्तकों का प्रतिक्षण अपने क्षेत्र के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाना। 2- इस प्रतिक्षण कार्यक्रम के सड़क सुरक्षा के अग्र कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया।</p>	<p>वर्ष 2023 में निर्धारित नवीन बसें खरीद पर तात्कालिक पुनः बसें कार्यों को विनियमित कर पुराने पत्रवाहकों के सम्बन्धित ले भूख पूर्ण कराया जाय।</p>	<p>सर्वोच्च अदालत द्वारा निर्णय प्राप्त।</p>
<p>षष्ठम दिवस</p>	<p>राजकीय चिकित्सालयों में व्यवसायिक वाहन घालकों का स्वास्थ्य जांच कार्ड के अनुसार नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित कराना।</p>	<p>निगम की बसों की फिटनेस की जांच कर कमियों को दूर करना तथा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत बसों में स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रचार-प्रसार किया जाना। राजकीय चिकित्सालयों में</p>	<p>1- दो पहिया वाहन की हेल्मेट (घालक एवं पीछे बैठी सवारी सहित), सीटबेल्ट, मोबाइल फोन गलत दिशा में धारण का सचेतन करने के विरुद्ध लोगों को जागरूक करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना।</p>	<p>अपने क्षेत्र में निर्धारित नवीन बसें खरीद पर तात्कालिक पुनः बसें कार्यों को विनियमित कर पुराने पत्रवाहकों के सम्बन्धित ले भूख पूर्ण कराया जाय।</p>	<p>सर्वोच्च अदालत द्वारा निर्णय प्राप्त।</p>	<p>सर्वोच्च अदालत द्वारा निर्णय प्राप्त।</p>

Handwritten mark/signature

7)		परिवहन निगम के बस चालकों का स्वास्थ्य जांच कार्ड के अनुसार नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित कराना।		सूचना को प्रेषित किया जाना।		
सप्तम दिवस	<p>ए0आर0टी0ओ0, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सहयोग से व्यवसायिक वाहन चालकों/परिचालकों/प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मी/टोल प्लाजा कर्मी/राजमार्गों पर स्थिति ढाबों के इच्छुक व्यक्तियों/पेट्रोल पम्प कर्मी/गैराज के मैकेनिक का जनपद/निकटतम मेडिकल कॉलेज में आयोजित बेसिक ट्रामा लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाना।</p> <p>2-ओवर लोडिंग/गलत नं0 प्लेट, बिना एचएसआरपी लगे वाहन, सड़क के किनारे खड़े अवैध वाहनों एवं रेडोरिफ्लेक्टिव टेप की चेकिंग किया जाना तथा लेन ड्राइविंग के बार में चालकों को जागरूक किया जाना।</p> <p>3-सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत वाहन चालकों को रात्रि में हेड लाइट के हई बीम/लो बीम के प्रयोग के संबंध में जागरूक किया जाना।</p>	परिवहन निगम की समस्त बसों/अनुबन्धित बसों की फिटनेस की जांच किया जाना।	ड्रंकर ड्राइविंग, रेड ओवरस्पीडिंग, लाइट जम्पिंग, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी चेकिंग के विरुद्ध अभियान।	अपने विभाग (लो0नि0 वि0, एन.एच.ए.आई., उपशा, यूपीडा, यीडा एवं नगर विकास विभाग) के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यस्थल पर वर्क जोन सेप्टी के क्रियान्वयन का मौखिक सत्यापन कर सड़क सुरक्षा मानकों के क्रियान्वयन से संबंधित फोटोग्राफ तथा सूचना को प्रेषित किया जाना।	ए0आर0टी0ओ0, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सहयोग से बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का जनपद/निकटतम मेडिकल कॉलेज में आयोजित बेसिक ट्रामा लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाना।	ए0आर0टी0ओ0, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सहयोग से व्यवसायिक वाहन चालकों/परिचालकों/प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मी/टोल प्लाजा कर्मी/राजमार्गों पर स्थिति ढाबों के इच्छुक व्यक्तियों/पेट्रोल पम्प कर्मी/गैराज के मैकेनिक/बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का बेसिक ट्रामा लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया जाना।

W

2618364/2023/-3

अष्टम दिवस	पूर्वाह्न - दो पहिया वाहन की हेल्मेट (चालक एवं पीछे बैठी सवारी सहित), मोबाइल फोन, गलत दिशा में वाहन का संचालन करने के विरुद्ध लोगों को जागरूक करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना। अपरान्ह- अनधिकृत रूप से संचालित बसों के विरुद्ध चेकिंग अभियान।	परिवहन निगम के बस चालकों/परिचालकों को कोहरे में बस संचालित करने, महिला सुरक्षा के प्रति संवेदीकृत करने एवं बसों, बस डिपो, बस स्टेशनों की सामान्य स्वच्छता हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाए।	अनधिकृत रूप से संचालित बसों के विरुद्ध चेकिंग अभियान में परिवहन विभाग का सहयोग करना। राजमार्गों पर सड़क के किनारे स्थित द्वाबों व ट्रक चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। शहर के प्रमुख स्थलों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के विरुद्ध अभियान।	1-वर्ष 2016, 2018, 2019 एवं वर्ष 2020 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण के अंतर्गत किये गये कार्यों का निरीक्षणोपरान्त उनमें पायी गयी कमियों के सापेक्ष सुधारीकरण कार्यवाही की जाए। 2-वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 में चिन्हित ऐसे ब्लैक स्पॉट जिन पर सुधारीकरण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसे अवशेष ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण तथा उन पर तात्कालिक सुधार वाले कार्यों को पूर्ण कराया जाए।	1-माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के रोड सेपटी क्लवों के माध्यम से भलिन बस्ती एवं अभिगृहित ग्रामों में जाकर जन-मानस को जागरूक किया जाना। 2- सभी स्कूली वाहनों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों में परिवहन विभाग के सहयोग से कराया जाना।	1- सभी स्कूली वाहनों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों में कराया जाना। 2- सभी स्कूली वाहनों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों में कराया जाना। 3- सभी स्कूली वाहनों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों में कराया जाना। 4- सभी स्कूली वाहनों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों में कराया जाना।
नवम दिवस	पूर्वाह्न- दो पहिया वाहन की हेल्मेट (चालक एवं पीछे बैठी सवारी सहित), मोबाइल फोन, गलत दिशा (सांग साइड) में वाहन का संचालन करने के विरुद्ध लोगों को जागरूक करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना। अपरान्ह- अनधिकृत रूप से संचालित बसों के विरुद्ध चेकिंग अभियान।	परिवहन निगम की बसों में रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप, बैंक लाइट, इंडीकेटर, हेडलाइट, पंजीयन नम्बर प्लेट, सिडकियों में शीशे लगे होने की चेकिंग किया जाना तथा इनमें से मानक के अनुरूप न पाये जाने पर उनका सुधार करना। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत वाहन चालकों को रात्रि में हेड लाइट के हाई बीम/लो बीम के	1-स्वयं संवर्ग संस्थाओं अथवा किसी अन्य संस्थान/ कम्पनी से प्रयोजित कराकर नि:शुल्क रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप को लगाने हेतु प्रेरित किया जाय एवं लगवाया जाए तथा सड़क के किनारे खड़े अवैध वाहनों को हटाया जाए एवं चालकों को लेन ड्राइविंग के बारे में चालकों को जागरूक	1-पूर्व में विभिन्न मार्गों पर स्थापित समस्त सड़क सुरक्षा साइन बोर्ड तथा रोड मार्किंग का निरीक्षण किया जाना तथा क्षतिग्रस्त साइन बोर्ड/रोड मार्किंग को पुनर्स्थापित करने की कार्यवाही 2-समस्त साइन बोर्ड की स्पष्ट दृश्यता हेतु वृक्षों/झाड़ियों की छंटाई किया जाना।	उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के मध्य दिवज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।	ट्रामा सुविधाओं के सुदृढीकरण हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा कार्ययोजना बनाया जाना।

WL

11		प्रयोग के समय में जागरूक किया जाना।	क्रिया ज्ञान। 2-सड़क नुस्खा के दृष्टिगत चलान वालेकों को रात्रि में हेड लाइट के लई बीम/लौ बीम के प्रयोग के समय में जागरूक किया जाना।			
दक्षम दिवस	प्रदूषण जांच केंद्रों की चेकिंग व मानक से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की चेकिंग। बीडीफाइंड साइलेन्सर/हूटर/प्रेसर हॉर्न/सीजे पर कार्बरी फिल्म की चेकिंग।	परिवहन निगम के चालकों एवं परिवहनकों की बंदी में उपस्थिति कराकर उनके मध्य सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों पर विवेक कम्पटीशन कराया जाना तथा परिवहन निगम के चालकों द्वारा उनके वाहन के विशेष अनुभवों को साझा किया जाना। विवेक कम्पटीशन में विजेता कमरे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जाना।	वाहनों पर बीडीफाइंड साइलेन्सर/हूटर/सीजे/प्रेसर हॉर्न एवं सीजे पर कार्बरी फिल्म का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध चेकिंग अभियान।	सभी पुलिस को विभिन्न इलाकों पर आवश्यक सुखदायक उपाय यथा-सड़क बोर्ड लगाना, ट्रैफिक कॉमिंग बजरी तथा दूरवता हेतु अन्य रोड नेट्री प्रावधान- ट्रेलीनेटरस, आरपी0एच0 (कंडस आई) आदि को स्थापित किया जाना तथा संकरी पुलिस पर पूर्ण में किये गये सुधारीकरण कार्यों का समुचित रख-रखाव किया जाए।	सभी स्कूली वाहनों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों में परिवहन विभाग के सहयोग में कराया जाना।	108 एम्बुलेंस/ एन0एच0 ए0आई0/ एक्सप्रेस के एम्बुलेंसेस के ई0एच0 टी0 का प्रसिद्ध स्तर कन्यारीली का निरीक्षण किया जाना।
11 वीं दिवस	प्रदूषण जांच केंद्रों की चेकिंग व मानक से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की चेकिंग। बीडीफाइंड साइलेन्सर/हूटर/प्रेसर हॉर्न की चेकिंग।	परिवहन निगम की दर्रा की प्रदूषण एवं अन्य जांच यथा-आइपर, डॉइक्रेटर, वैक लाइट, हेडलाइट, खिड़की एवं दरवाजों में लगे हुए सीजे की जांच कर उन्हें ठीक हालत में किया जाना।	समस्त आई0टी0एच0एच0 को यूपी0 112 से इटीग्रेट किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना।	IRAD पोसाइल एच के संघ में समस्त जनपद के एन0आई0सी0 में नियुक्त DISTRICT ROLL OUT Manager के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लोक निर्माण विभाग सहित सभी सड़क निर्माण एजेंसी को प्रशिक्षण देना तथा लम्बित	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में संगठित (एन0एस0 एच0/एन0सी0सी0/रोडर्स रेंजर/स्काउट गाइड) के विद्यार्थियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम।	राजकीय चिकित्सालयों में समस्त ध्यावसायिक वाहन चालकों एवं परिवहन निगम के बस चालकों का स्वास्थ्य जांच कार्ड के अनुसार नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच किया जाना। (तृतीय चरण)
12 वीं	1-मालयानों द्वारा की जा रही	परिवहन निगम की बसों	सभी जनपदों में		1-माध्यमिक विद्यालयों	सभी अस्पतालों (चिकित्सा

2618364/2023/-3

<p>दिवस</p>	<p>ओवर लोडिंग विशेष रूप से खनन वाले जनपदों में उदगम स्थल पर ही ओवरलोडिंग के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही किया जाए। 2-गलत नो प्लेट बिना एचएसआरपी लगे वाहन, सड़क के किनारे खड़े अवैध वाहनों एवं रेडिओफिलेक्टिव टेप की झेकिंग किया जाना तथा लेन ड्राइविंग के बार में चालकों को जागरूक किया जाना। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत वाहन चालकों को रात्रि में हेड लाइट के हाई बीम/लो बीम के प्रयोग के संबंध में जागरूक किया जाना।</p>	<p>की प्रदूषण एवं अन्य जांच यथा-वाइपर, इंडिकेटर, बैक लाइट, हेडलाइट, खिड़की एवं दरवाजों में लगे हुए शीशे की जांच कर उन्हें ठीक हालत में किया जाना।</p>	<p>स्थापित ट्रैफिक सिग्नल तथा सी0सी0टी0वी/ए0एन0पी0आर0 आदि कैमरे सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं को सुनिश्चित किया जाना।</p>	<p>सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर फीड करना।</p>	<p>एवं महाविद्यालयों में गठित रोड सेफ्टी क्लबों द्वारा छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना।</p>	<p>स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभागों में दोपड़िया एवं चार पहिया वाहन चालकों (भरीज एवं तीमारदार) का नेत्र एवं साधन-य स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना।</p>
<p>13 वाँ दिवस</p>	<p>1-इंजन ड्राइविंग तथा ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना। 2-स्कूली वाहनों की सड़क सुरक्षा के मानकों के अनुरूप फिटनेस की जांच एवं कार्यवाही किया जाना। 3-यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री/सवारियों के पाये जाने पर नियमानुरूप कार्यवाही किया जाए।</p>	<p>परिवहन निगम के चालकों का इंजन ड्राइविंग के विरुद्ध ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण किया जाना।</p>	<p>इंजन ड्राइविंग तथा ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही, ट्रैफिक जाम के निवारण हेतु कार्ययोजना बनाना एवं कार्यवाही।</p>	<p>1-पूर्व में विभिन्न मार्गों पर स्थापित समस्त सड़क सुरक्षा साइन बोर्ड तथा रोड मार्किंग का निरीक्षण किया जाना तथा क्षतिग्रस्त साइन बोर्ड/रोड मार्किंग को पुनर्स्थापित करने की कार्यवाही। 2-समस्त साइन बोर्ड की स्पष्ट दृश्यता हेतु गुत्तों/झाड़ियों की छंटाई किया जाना।</p>	<p>1-बैसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया जाना। 2-उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के मध्य माषण एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।</p>	<p>IRAD मोबाइल एप के संघ में समस्त जनपद के एन0आई0सी0 में नियुक्त DISTRICT ROLL OUT MANAGER के साथ समन्वय स्थापित करते हुए शिक्षित एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा लम्बित सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर फीड किये जाने की समीक्षा।</p>
<p>14 वाँ दिवस</p>	<p>1-इंजन ड्राइविंग तथा ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना।</p>	<p>परिवहन निगम के चालकों का इंजन ड्राइविंग के विरुद्ध ब्रेथ</p>	<p>इंजन ड्राइविंग तथा ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन</p>	<p>1-एक्सप्रेस से तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित समस्त टोल प्लाजा पर स्वास्थ्य</p>	<p>1-उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के</p>	<p>राजकीय विद्यालयों में शोध समस्त दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों</p>

ML

2618364/2023/-3

	<p>2-सड़क वाहनों की सड़क सुरक्षा के मानकों के अनुरूप फिटनेस की जांच एवं कार्यवाही किया जाना।</p> <p>3-खात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री/सवपरियों के पाये जाने पर नियमानुरूप कार्यवाही किया जाए।</p>	एनालाइजर से परीक्षण किया जाना।	कार्यवाही किया जाना।	<p>विभाग के सहयोग से व्यवसायिक वाहन चालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र जाँच किया जाना।</p> <p>2-लोक निर्माण विभाग तथा नगर विकास विभाग द्वारा अपने अधीन मार्गों पर शीत ऋतु में वाहन चालकों की सुविधा हेतु मार्गों पर लेन मार्किंग हेतु किये गये थर्मोप्लास्टिक पेंट का निरीक्षण करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही की जाए।</p>	मध्य रंगोली एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।	(मरीज एवं तीमारदार) का नेत्र एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन।
15 वीं दिवस	वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग न करने, HSRP न लगे वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही।	पारिवहन निगम की बसों की प्रदूषण एवं अन्य जांच यथा-वाइपर इंडिकेटर बैक लाइट हेडलाइट खिड़की एवं दरवाजों में लगे हुए शीशे की जांच कर उन्हें ठीक हालत में किया जाना।	शहरों में आवासीय क्षेत्रों में संचालित मार्केट तथा बिना पार्किंग वाली मार्केट में सड़क के किसी एक किनारे को पार्किंग हेतु निर्धारण कर बोर्ड लगाया जाना।	<p>1-एम्बुलेंस-वे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित समस्त टोल प्लाजा पर लेन-ड्राइविंग तथा ओवरस्पीडिंग न करने हेतु वाहन चालकों को प्रशिक्षित किया जाना तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाना।</p> <p>2-लोक निर्माण विभाग तथा नगर विकास विभाग द्वारा अपने अधीन मार्गों पर शीत ऋतु में वाहन चालकों की सुविधा हेतु मार्गों पर लेन मार्किंग हेतु किये गये थर्मोप्लास्टिक पेंट का निरीक्षण करते हुए</p>	प्रोजेक्ट नैनोजनेट कंसल्टेंसी के माध्यम से जनपद के माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति प्रशिक्षित किया जाना।	सनस्त मेडिकल/ पैरामेडिकल कॉलेजों में सड़क सुरक्षा संबंधित कार्यशाला का आयोजन।

ML

16 वीं दिवस	वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग न करने, MSRP न लगे वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही।	परिवहन निगम के बस डिपो तथा बसों की स्वच्छता तथा बसों की फिटनेस का भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय/सहाय क्षेत्रीय प्रबन्धक स्तर से कराते हुए कार्यवाही किया जाना तथा कृत कार्यवाही को मुख्यालय प्रेषित किया जाना।	1-शहरों में आवासीय क्षेत्रों में संचालित मार्केट तथा बिना पार्किंग वाली मार्केट में सड़क के किसी एक किनारे को पार्किंग हेतु निर्धारण कर बोर्ड लगाया जाना। 2-अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों/अवैध टैम्पो एवं टैक्सी स्टैण्ड के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।	सुधारात्मक कार्यवाही की जाए। समस्त अभियंत्रण विभाग द्वारा मार्गों के समस्त जंक्शन/चौराहे पर ट्रैफिक कॉमिंग मेजर्स की स्थापना का भौतिक सत्यापन किया जाना तथा समस्त कमरतोडू स्पीड ब्रेकर को हटाते हुए आवश्यकतानुसार क्षतिग्रस्त हो गये रम्बल ट्रिप्प टेबल टॉप स्पीडब्रेकर रोड मार्किंग आदि ट्रैफिक कॉमिंग मेजर्स की पुनर्स्थापना किया जाना।	2मास्टर ट्रेनर के माध्यम से जनपद के बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के शिक्षकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति प्रशिक्षित किया जाना।	IRAD मॉड्यूल एप के सबंध में समस्त जनपद के एन0आई0सी0 में नियुक्त DISTRICT ROLL OUT Manager के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा लम्बित सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर फीड किये जाने की तमीला।
17 वीं दिवस (दिनांक 31.12.20)	जनपद के मा0 जनप्रतिनिधि तथा जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में बस, ट्रक, ऑटो यूनिट के पदाधिकारियों/एन0जी0ओ0 के माध्यम से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा समापन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना हेल्मेट वितरण का कार्यक्रम तथा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एन0जी0ओ0/गुड सेमेरिटन/मास्टर ट्रेनर/रोड सेफ्टी क्लब को सम्मानित किया जाना।	परिवहन निगम के चालकों/परिचालकों की उपस्थिति में समापन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना तथा उत्कृष्ट चालक/परिचालक/सफाई कर्मियों को सम्मानित किया जाना।	ट्रैफिक व्यवस्था हेतु इलेक्ट्रानिक उपकरणों का परीक्षण करते हुए उसकी जानकारी ट्रैफिक कर्मियों को दिया जाना तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले ट्रैफिक पुलिस के 03 कर्मियों को सम्मानित किया जाना।	लोकनि0वि. एन.एच.ए.आई. उपशा, यूपीडा, यीडा एवं नगर विकास विभाग के मुख्यालय द्वारा दिवसवार सूचनाएं एवं फोटोग्राफ संकलित कर परिवहन आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया जाए।	समस्त दिवसों की सूचनाएं फोटोग्राफ सहित संकलित कर अपने-अपने संबंधित मुख्यालय को प्रेषित किये जाने के पश्चात परिवहन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	समस्त कृत कार्यवाही का राज्य मुख्यालय पर रिपोर्ट प्रेषण।

नोट- सड़क सुरक्षा पखवाड़े की कृत कार्यवाही की रिपोर्ट 02 एवं रिजोल्यूशन फोटोग्राफ सहित ई-मेल atcrs-up@nic.in पर पखवाड़े की समाप्ति के उपरान्त 03 कार्य दिवस में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

ML

संख्या/440/2023
दिनांक 15/12/2023

प्रेषक,

दुर्गो शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में

- 1 समस्त मण्डल-युक्त, उपप०।
- 2 समस्त उप पुलिस अधिरीक्षक, उपप०।
- 3 समस्त जिलाधिकारी, उपप०।
- 4 पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी/आगरा/ गाजिपण्डा
/प्रयागराज
- 5 समस्त थरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उपप०।

परिचय अन्वय-1

लखनऊ दिनांक 15 दिसम्बर 2023

विषय: वर्ष 2023-24 में द्वितीय सड़क सुरक्षा पञ्चाङ्ग दिनांक 15-12-2023 से 31-12-2023 तक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शीत ऋतु में घने कोहरे व कम दृश्यता होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है। शीत ऋतु में दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के प्रयोजनार्थ सभी सड़क प्रयोगकर्ता (समस्त प्रकार के वाहन चालकों एवं पैदल यात्रियों) तथा आम-जनमानस की जागरूक किया जाना आवश्यक है। इस हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ वृष्ट अभियान चलाया जाना अनिवार्य है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शीत ऋतु में सड़क दुर्घटनाओं व उनसे होने वाली मृत्यु की संख्या में कमी लाये जाने के उद्देश्य से SE- एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इन्फोर्जियरिंग, इमरजेंसी केयर और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते करते हुए, एकजुट होकर कार्य करना है। उक्त के इष्टित सड़क सुरक्षा से जुड़े समस्त विभागीय- परिचालन विभाग, गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग तथा शिक्षा विभाग की कार्ययोजना के आधार पर दिनांक वर्ष 2023-24 में द्वितीय सड़क सुरक्षा पञ्चाङ्ग दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक मलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

1) कृषि कार्यक्रम के अनुसार सड़क सुरक्षा परियोजना को सफल बनाने हेतु ग्राम आवश्यक संबंधित विभागों से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाये तथा डिस्ट्रिक्ट व इमेक्यूनाईबल प्रोग्राम के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाये।

संलग्नक-घोषणा

प्रमुख,

Digitally Signed by मुख
मुख

Date 05-12-2023 17:01:18


मुख
मुख

संख्या एवं दिनांक तदीय।

निम्नलिखित निम्नलिखित एवं सूचनाव्ये वर आवश्यक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ

1. निजी सचिव, माओ परिपालन मंत्री जी, 5000 शासन।
2. स्टॉक ऑफिसर, मुख्य सचिव, 5000 शासन।
3. अवर मुख्य सचिव/उपमुख सचिव, गृह विभाग, 5000 शासन।
4. अवर मुख्य सचिव/उपमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, 5000 शासन।
5. अवर मुख्य सचिव/उपमुख सचिव, पशुधन विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, 5000 शासन।
6. अवर मुख्य सचिव/उपमुख सचिव, पशुधन विभाग, 5000 शासन।
7. अवर मुख्य सचिव/उपमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, 5000 शासन।
8. अवर मुख्य सचिव/उपमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, 5000 शासन।
9. अवर मुख्य सचिव/उपमुख सचिव, दूरि शिक्षा विभाग, 5000 शासन।
10. अवर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, 5000 शासन।
11. अवर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, 5000 शासन।
12. पुलिस महानिदेशक, 5000।
13. वरिष्ठ आधुनिक 5000 सचिव।
14. मुख्य कार्यपालक अधिकारी चौडा/दुर्गा।
15. वर-ध निदेशक, 5000।
16. निदेशक योजनाएं 5000 सचिव।
17. गाई फाईन।

मुख


मुख

मुख